FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

पिन्टु पंवार एडवोकेट, जुबली चेम्बर 47, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 88 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00247

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/8/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 4/9/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	1330-31 22/8/19
4-9-19	पत्रावली आज पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी (तह० रायपुर) से सूचना बाबत प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। पुन: स्मरण पत्र जारी होकर पत्रावली दिनांक 25/9/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	
25/9/19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। पत्रावली संलग्न है। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 9/10/19 को पेश हो।	पालना रिपोर्ट प्राप्त
9/10/19	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी (तह०) रायपुर से सोमनाथ s/o मांगीदास जो तह० कार्यालय में कार्यरत कार्मिक था उसकी सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपी चाही गई है इस बाबत उक्त कार्मिक के सेवानिवृत होने की दिनांक वर्ष व पद बाबत सूचना चाही गई जो आज तक अपी० द्वारा पेश नहीं की गई है पत्रांक 225 16-7-19 की प्रति भी संलग्न पत्रावली की है उक्त वांछित सूचना के अभाव में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया जा सकता है पत्रावली इसी स्तर पर drop की जाती है। रेस्पो. को सूचना पूर्ण प्रस्तुत करते हुए। वांछित सूचना हेतु प्रार्थना पत्र हेतु कार्यवाही कर सकता है पत्रावली शुमार दाखिल हो। जिला कलेक्टर, पाली	